"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2005—फाल्गुन 13, शक 1926

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएँ, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री अमिताभ जैन, भा. प्र. से. (1989) आयुक्त, उद्योग, प्रबंध संचालक, सी. एस. आई. डी. सी. एवं प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी., सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क, को दिनांक 28-2-2005 से 11-3-2005 तक आर.आई.पी.ए. इन्टरनेशनल, लंदन में आयोजित कार्यक्रम "Management and Policy Development for Senior Managers" में भाग लेने हेतु नियोजित किया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्री जैन की प्रशिक्षण अवधि में श्री विवेक ढॉड, भा. प्र. से. (1981), सचिव, मान. मुख्यमंत्री, नगरीय विकास, आवास, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, जनसंपर्क एवं आयुक्त जनसंपर्क के प्रभार में रहेंगे.

3. श्री जैन की प्रशिक्षण अवधि में श्री आई. सी. पी. केशरी, भा. प्र. से. (1988), सचिव, लोक निर्माण विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, उद्योग, प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. के प्रभार में रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2005

क्रमांक एफ. ए. 7-19/2004/1/एक.— इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. ए. 7-39/97/एक (1) दिनांक 2 जुलाई, 1998 को अधिक्रमित करते हुये राज्य शासन मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की वार्षिक राशि में वृद्धि कर अब निम्नानुसार वार्षिक राशि निर्धारित करता है :—

1. मुख्यमंत्री	2,00,00,000/-	(रुपये दो करोड़)
2. मंत्री (प्रत्येक को)	20,00,000/-	(रुपये बीस लाख)
3. राज्य मंत्री (प्रत्येक को)	15,00,000/-	(रुपये पंद्रह लाख)
4. उपमंत्री/संसदीय सचिव	05,00,000/-	(रुपये पांच लाख)

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

3. इस संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 73/2947/ब-5/वित्त/चार/2005 दिनांक 13-1-2005 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है.

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2005

क्रमांक एफ. ए. 7-19/2004/1/एक.—मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रिगणों द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने वाले नियम जो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1920/3670/एक (1) 81, दिनांक 28 मई, 1982 अधिसूचना क्रमांक एफ ए 7-2/95/एक (1), दिनांक 4 दिसंबर, 1995 एवं एफ ए 7-39/97/एक/1, दिनांक 2 जुलाई 1998 द्वारा अधिसूचित किये गये हैं, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उपरोक्त नियमों के नियम 62 अ (1) के वर्तमान उप नियम (ङ) के स्थान पर, उप नियम (ङ) निम्नानुसार स्थापित किया जाए :—

(ङ) अनुदानों को किसी भी एक वर्ष में, किसी भी एक मामले के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा अधिक से अधिक 2.00 लाख (रुपये दो लाख) तक, उप मुख्यमंत्री/मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों द्वारा रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) तक और उपमंत्री/संसदीय सचिव द्वारा रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक सीमित रखा जाना चाहिए.

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

3. इस संशोधन के संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 73/2947/ब-5/वित्त/चार/2005, दिनांक 13-1-2005 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2005

क्रमांक ई-7/63/2004/1/2/लीव.—श्री एम. एस. मूर्ति, भा. प्र. से. को दिनांक 27-1-2005 से 29-1-2005 तक (3 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-1-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मूर्ति, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मूर्ति को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मूर्ति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक एफ 6-87/सात-3/रा./04.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली के भाग एक अध्याय एक में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमावली में,—

नियम 5 के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (च) अंतःस्थापित किया जाए.
"(च) जिसे स्थानीय भाषा, बोली, भौगोलिक क्षेत्र तथा सामाजिक भावाभि व्यक्ति का ज्ञान न हो."

Raipur, the 22nd February 2005

No. F-6-87/Seven-3/Revenue/04.—The State Government hereby makes the following further amendment in chapter one of part one of Chhattisgarh Land Record Manual namely :—

AMENDMENT

In said manual,—

After clause (e) of rule 5, the following clause (f) shall be inserted.

"(f) who has no knowledge of local language dialect, geographical region, and social santiments."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमेगा टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्रमांक 91/30/1/सं./05.—अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों एवं उनके परिवारों को कलाकार कल्याण कोष से सहायता देने हेतु निम्नानुसार कार्यकारी समिति गठित की जाती है. यह समिति कलाकार कल्याण कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूक्ष्म जांच कर वित्तीय सहायता या वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि के लिए शासन को सिफारिश करेगी.

1. अपर मुख्य सचिव, संस्कृति	-	अध्यक्ष
2. सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त	-	सदस्य
3. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व	-	सदस्य
4. डॉ. श्याम सुंदर त्रिपाठी, महादेवघाट चौक, रिंग रोड, सुन्दर नगर, रायपुर	-	सदस्य
5. डॉ. पी. डी. आर्शीवादम, देवेन्द्र नगर, रायपुर	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, विशेष सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2005

क्रमांक 1972/607/05/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा अण्डा निकुम विनायकपुर मार्ग के कि.मी. 6/2 पर स्थित तांदुला पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अतः विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून, 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2005

क्रमांक 1253/डी/210/21-ब/फा. ट्रे. को./छ. ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री थलेश्वर प्रसाद साहू, अधिवक्ता, सूरजपुर जिला सरगुजा को फास्ट ट्रेक कोर्ट, सूरजपुर के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आए, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 जनवरी 2005

क्रमांक 47 /भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	उरईडबरी प. ह. नं. 9	4.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	उरईडबरी जलाशय के अंतर्गत स्पील चैनल.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 जनवरी 2005

क्रमांक 162 /भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	सारंगपुर प. ह. नं. 9	5.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	उरईडबरी जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1078/क/भू-अर्जन/2-अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	नवागांव प. ह. नं. 75/47	0.43	लोक निर्माण विभाग (सेतु) रायपुर संभाग, रायपुर.	राजिम परसवानी मार्ग के पैरी नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1080/क/भू-अर्जन/16/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	सिलघट प. ह. नं. 11	0.24	लोक निर्माण विभाग (सेतु) रायपुर संभाग, रायपुर.	खारुन नदी पर पहुंच मार्ग हेतु पुल निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 फरवरी 2005

भू-अर्जन क्रमांक 01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/2	0.210
170/2	0.024
योग 2	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.352 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
111	0.077
113	0.158
142	0.012
159	0.020
163	0.478
166	0.030
164/2	0.809
164/3	0.405
164/4	0.405
165	0.160
167	0.030
281	0.016
129/1	0.150
129/2	0.202
129/3	0.121
129/4	0.202
योग 17	3.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिहा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.